कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

कमांक 240 /व.नि.स./प्र.अ./तक.शा./ रायपुर, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009

//परिपत्र//

विषय :– ग्रामीण/ शहरीय जल प्रदाय योजनाओं एवं अन्य योजनाओं को समय–सीमा में पूर्ण करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश ।

----0----

छत्तीसगढ़ राज्य की ग्रामीण/ शहरीय जल प्रदाय योजनाएं एवं अन्य योजनाएं को निर्धारित समय–सीमा में पूर्ण करने के लिए निम्न दिशा–निर्देशों का पालन किया जाये––

1.0 निविदा आमंत्रण एवं स्वीकृति

1.01– योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत अधिकतम 2 माह के अंदर उन कार्यों की निविदाएं आमंत्रित हो जाना चाहिए, जिन्हें पूर्ण करने में सर्वाधिक समय लगना आंकलित है । इंटेकवेल एवं जल शुद्धीकरण संयंत्र की निविदाएं भी उपरोक्त समय सीमा में आमंत्रित हो जाना चाहिए ।

1.02– निविदा आमंत्रण की तिथि एवं निविदाओं के वित्तीय ऑफर खोलने की तिथि में न्यूनतम 25 दिन से अधिकतम 45 दिन की समय–सीमा रखी जाये । व्दितीय आमंत्रण में इसे न्यूनतम 20 दिन एवं अधिकतम 40 दिन रखा जाये ।

1.03– निविदाएं प्राप्त होने पर जिन कार्यालयों व्दारा निविदा पर निर्णय हेत अनुशंसा की जाना है, वह अधिकतम 15 दिवस के अंदर कर दी जाना चाहिए । इस अवधि से अधिक समय लगने पर निविदा पर अनुशंसा के साथ–साथ विलंब के कारणों को भी पत्र में दर्शाया जाना आवश्यक होगा । निविदा के साथ चेक लिस्ट (प्रति संलग्न) एवं वित्तीय स्थिति का पत्रक (प्रति संलग्न) अनिवार्यतः संलग्न कर प्रेषित किया जाना चाहिए ।

4– जिस स्तर पर निविदा पर निर्णय लिया जाना है, वह एक माह की समय–सीमा में ले लिया जाना चाहिए । निर्णय में विलंब की स्थिति में निविदा समिति की बैठक में विलंब का कारण रिकार्ड किया जाये ।

2.0 अनुबंध एवं कार्यादेश

2.01– निविदा स्वीकृति के 20 दिवस के अंदर ठेकेदार एवं विभाग के बीच अनुबंध हस्ताक्षरित हो जाय एवं कार्यादेश जारी हो जाना चाहिए । विलंब होने पर कार्यपालन अभियंता अनिवार्यतः मुख्य अभियंता को कारण सहित जानकरी देंगे ।